"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2010—चैत्र 22, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सी.ए.एफ.) आरक्षक (जी.डी.) एवं आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"ये नियम छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (सी.ए.एफ.), आरक्षक (जी.डी.), सहायक प्लाटून कमाण्डर एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें), नियम 2008 कहलाएंगे."

(2) नियम 2 के खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"सेवा" से अभिप्रेत है, तृतीय वर्ग कार्यपालिक के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ कार्यपालिक सशस्त्र बल हेतु आरक्षक (जी.डी.), सहायक प्लाटून कमाण्डर एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), आरक्षक ट्रेडमेन (कुशल/अकुशल) आरक्षक एमटी (चालक/ट्रेड) आरक्षक (पायोनियर) एवं आरक्षक (आर्म्स) ट्रेड, जिसमें कुशल ट्रेडमेन में मेकेनिक, वेल्डर, पेन्टर, अपहोलस्टर, टिनस्मिथ, बोरिंग मैकेनिक, मोल्डर, इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक, वल्कनाईजर, स्टोरमेन, चालक दर्जी, मेसर्न, ग्लास चेनल मैकेनिक, पावर हैमर, हेक्सा ग्राइंडिंग ड्रिलिंग, शेंपर, मिलिंग सहायक प्लाटून कमाण्डर एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग) आदि शामिल है एवं अकुशल ट्रेडमेन में कुक, नाई, धोबी, स्वीपर, मोची, वाटर केरियर एवं अन्य भी शामिल है.

(3) अनुसूची-एक में सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

स. क्र.	सेवा का नाम (अराजपत्रित सेवा)	पद के नाम	वेतनमान	वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल	सहायक प्लाटून कमाण्डर ट्रेड (नर्सिंग)	5200-20200 ग्रेड वेतन-2400	तृतीय वर्ग
8.	छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल	प्रधान आरक्षक ट्रेड (नर्सिंग)	5200-20200 ग्रेड वेतन-2200	तृतीय वर्ग

(4) अनुसूची-दो में सरल क्रमांक 3 के तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

स. क्र.	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	सीधी भर्ती के लिए पदों का प्रतिशत	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (अराजपत्रित सेवा)	सहायक प्लाटून कमाण्डर ट्रेड (नर्सिंग)	44	100%	18	28	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत तीन वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम अथवा चार वर्षीय बी.एस.पी. (नर्सिंग) बी.फार्मा की उपाधि अथवा साढ़े तीन वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग (जी.एन.टी.) परीक्षा उत्तीर्ण.
5.	छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (अराजपत्रित सेवा)	प्रधान आरक्षक ट्रेड (नर्सिंग)	155	100%	18	28	10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा शासन द्वारा प्राधिकृत विद्यालयं से एक वर्षीय पैरा मेडिकल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ पैरामेडिकल अभिकर्ता का पंजीयन या शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से दो वर्षीय डी. फार्मा. डिप्लोमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 12th April 2010

NOTIFICATION

No. F 2-34/2-Home/SPS/2008.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Chhattisgarh hereby make the following amendment in the Chhattisgarh Armed Force (C.A.F.), Constable (General Duty) and Trade Constale (Trained/Untrained) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 namely :—

AMENDMENT

In the Said Rule,—

(1) For sub-rule (1) of Rule 1, the following shall be substituted namely :—

"These rules may be called the Chhattisgarh Armed Executive Force (C.A.F.), Constable (General Duty), Assistant Platoon Commander and Head Constable (Nursing) Trade Constable (Trained/Untrained) Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008."

(2) For clause (j) of Rule 2, the following clause shall be substituted, namely :—.

" 'Service' means Constable (Genral Duty), Assistant Platoon Commander and Head Constable (Nursing), Constable Trade men (Trained/Untrained), Constable MT (Driver/Trade), Constable (Pioneer), and Constable (Arms) Trade for Chhattisgarh Executive Armed Force Coming under Class III Executive, which includes skilled trade men in which are enlisted mechanic, welder, painter, upholster, tinsmith, boring mechanic, molder, instrument mechanic, vulkniser, store men, driver, tailor, mason, glass channel mechanic, power hammer, Hexa Grinding drilling, shaper, Milling Assistant Platoon Commander and Head Constable (Nursing) etc. and also unskilled trade men including cook, barber, washer men, sweeper, cobbler water carrier and others are also included."

(3) In Schedule-I, after Serial No. 6 and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of Service (Non-Gazetted Service)	Name of the Post	Pay-Scale	Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Chhattisgarh Armed Executive Force	Assistant Platoon Commander Trade (Nursing)	5200-20200 Grade Pay-2400	Class-III
8.	Chhattisgarh Armed Executive force	Head Constable Trade (Nursing)	5200-20200 Grade Pay-2200	Class-III

(4) In Schedule-II, after serial number 3 and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of the Service	Name of the posts included in the service	Number of posts	Percentage of posts for direct recruitment	Minimum age limit	Upper age limit	Education Qualification prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Chhattisgarh Armed Executive Force	Assistant Platoon Commander	44	100%	18	28	Three years Medical Course which is authorized by Chhattisgarh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Non-Gazetted Service)	Trade (Nursing)					Government. or 4 years B. Sc. Nursing, Bfarma degree or 3$^{1/2}$ years General Nursing Training (G. N. T.) examination pass.
5.	Chhattisgarh Armed Executive Force (Non-Gazetted Service)	Head Constable Trade (Nursing)	155	100%	18	28	Having passed XIIth Class or equivalent examination under 10+2 System and one years Para Medical certificate course which is authorized School by the Government with registration of Para Medical agent or 2 years Dfarma diploma by Government authorized institution.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.